संख्या-07/2024/1693/23-10099(099)/22/2023

प्रेषक,

अभय प्रताप श्रीवास्तव,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक 04 जनवरी, 2024

विषयः- जनपद बांदा में बांदा-नरैनी मार्ग के किमी0-20 से गिरवां-रामपुर-स्योढा मार्ग पर केन नदी स्योढा घाट (निहालपुर घाट) पर दीर्घ सेतु की मरम्मत हेतु प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता(सेतु विंग), लो0नि0वि0, उ0प्र0 के पत्र संख्या-1794/राजस्व मद (पक्का सेतु) (पत्राचार)/अनुरक्षण/सेतु-6/22-23 दिनांक 06.12.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनपद बांदा में बांदा-नरैनी मार्ग के किमी0-20 से गिरवां-रामपुर-स्योढा मार्ग पर केन नदी स्योढा घाट (निहालपुर घाट) पर दीर्घ सेतु की मरम्मत हेतु लागत रू0 97.42 लाख (रुपये सत्तानबें लाख बयालीस हज़ार मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति निम्न विवरणानुसार तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैः-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्रं0	खण्ड / जनपद का नाम	कार्य	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत /प्राविधिक लागत / गठित अनुबन्ध की लागत	गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष	वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रशासकीय स्वीकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	नि0ख0-1 बांदा	जनपद बांदा में बांदा-नरैनी मार्ग के किमी0-20 से गिरवां-रामपुर-स्योढा मार्ग पर केन नदी स्योढा घाट (निहालपुर घाट) पर दीर्घ सेतु की मरम्मत	110/2023/744/001-744-23-10- 23-40सा0-2023 दिनांक 29 -05-2023	238. 01/ 238.01/ 153.99	10.20	227. 81	119. 00	108. 81	97. 42
		योग :-			**10.20**	**227. 81**	**119. 00**	**108. 81**	**97. 42**

(रू0 सत्तानबे लाख बयालीस हजार मात्र)

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in/GO/INDEX

(2) शासनादेश सं0-133/2023/610/001-610-23-10-23-10(ब0)/2017 दिनांक 21.06.2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

3- प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य योजना (सामान्य) के **अनुदान संख्या-57** के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-3054-सड़क तथा सेतु-04-जिला तथा अन्य सड़कें-800-अन्य व्यय-04-पुलों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण के मद में शासनादेश दिनांक 21.06.2023 द्वारा प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि में से वहन किया जायेगा तथा उक्त कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 एवं यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023, दिनांक 19 सितम्बर, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनुसचिव।

संख्या-07/2024/1693(1)/23-10099(099)/22/2023 दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी।
2- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, प्रयागराज।
3- संबंधित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी।
4- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
5- मुख्य अभियन्ता, चित्रकूट धाम (बांदा) क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, बांदा ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 ।
7- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
8- बजट आवंटन अधिकारी, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
9- संबंधित कोषाधिकारी ।
10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in/GO/INTRA